



REVIEW OF RESEARCH

ISSN: 2249-894X

IMPACT FACTOR : 5.7631 (UIF)

VOLUME - 10 | ISSUE - 1 | OCTOBER - 2020



भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का अध्ययन

डॉ.राजू रेदास

शोधार्थी - डी-लिट (वाणिज्य), अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,
रीवा (म०प्र०)भारत.

संराश :-

कृषि: भारत मुख्य रूप से एक कृषि अर्थव्यवस्था थी जब तक कि पिछले कुछ वर्षों में यह विश्व अर्थव्यवस्थाओं के अनुसार बदल गई। भारत कृषि उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। 2005 में सकल घरेलू उत्पाद का 18.6% कृषि और संबंधित क्षेत्रों जैसे मछली पकड़ने, वानिकी और लॉगिंग द्वारा योगदान दिया गया था और कुल कार्यबल के 60% के लिए रोजगार प्रदान किया था। कृषि उत्पादन एवं उसकी अर्थव्यवस्था को बनाये रखने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं हम इस शोध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उसके विकास के लिए किये गए प्रबंधों का अध्ययन करेंगे।



प्रस्तावना :-

जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। इसकी लगभग 55 % जनसंख्या इस क्षेत्र में कार्यरत है। कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 14 % योगदान है। लेकिन लगातार हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घट रहा है। 1950 के दशक में हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 53 % प्रतिशत होता था जो वर्तमान में करीब 14 % रह गया है। देश में निर्यात के क्षेत्र में कृषि का 10 % हिस्सा है। देश की 1.26 अरब आबादी की खाद्य सुरक्षा कृषि पर निर्भर है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। इसकी लगभग 55 % जनसंख्या इस क्षेत्र में कार्यरत है। कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 14 % योगदान है। लेकिन लगातार हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घट रहा है। 1950 के दशक में हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 53 % प्रतिशत होता था जो वर्तमान में करीब 14 % रह गया है। देश में निर्यात के क्षेत्र में कृषि का 10 % हिस्सा है। देश की 1.26 अरब आबादी की खाद्य सुरक्षा कृषि पर निर्भर है।

भारत की कृषि अर्थव्यवस्था का अवलोकन :-

1950 के दशक में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का आधा हिस्सा कृषि क्षेत्र से आता था। वर्ष 1995 तक यह घटकर 25 प्रतिशत रह गया, जो वर्तमान में करीब 14 % घट गया है।

जैसा कि अन्य देशों के विकास में देखा गया है कि जैसे जैसे कोई देश विकास करता है उसके हिस्से में कृषि का योगदान कम होता जाता है यही कारण है कि भारत में अन्य क्षेत्रों के विकास के कारण, यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आई। जो कि नीचे दिए गए आंकड़ों से समझा जा सकता है।

जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। इसकी लगभग 55 % जनसंख्या इस क्षेत्र में कार्यरत है। कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 14 % योगदान है। लेकिन लगातार हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घट रहा है। 1950 के दशक में हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 53 प्रतिशत होता था जो वर्तमान में करीब 14 % रह गया है। देश में निर्यात के क्षेत्र में कृषि का 10 % हिस्सा है। देश की 1.26 अरब आबादी की खाद्य सुरक्षा कृषि पर निर्भर है।

जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। इसकी लगभग 55 % जनसंख्या इस क्षेत्र में कार्यरत है। कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 14 % योगदान है। लेकिन लगातार हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घट रहा है। 1950 के दशक में हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 53 % प्रतिशत होता था जो वर्तमान में करीब 14 % रह गया है। देश में निर्यात के क्षेत्र में कृषि का 10 % हिस्सा है। देश की 1.26 अरब आबादी की खाद्य सुरक्षा कृषि पर निर्भर है।

1. कृषि को मजबूत बनाने के लिए गेहूँ और चावल की उन्नत किस्मों का उपयोग, कृषि से सम्बंधित अनुसंधान और विस्तार सेवाओं को बढ़ावा देना।
2. कृषि उपज को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के प्रयोग को बढ़ावा देना।
3. प्रमुख लघु सिंचाई सुविधाओं का विस्तार।
4. प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा, सरकारी खरीदी और सार्वजनिक वितरण जरूरतों को पूरा करने और अनार्जों के बफर स्टॉक के लिए इमारतों का निर्माण।
5. प्राथमिकता के आधार पर कृषि ऋण का प्रावधान।
6. इस अवधि में भी केंद्र व राज्य सरकार ने बाजार की जरूरतों का ध्यान रखा। किसानों की उपज को खरीदने के लिए उपयुक्त कदम उठाए। ताकि उनके उत्पाद का उन्हें सही मूल्य मिल सके।

भारत में कृषि की स्थिति :-

कृषि उत्पादकता कई कारकों पर निर्भर करती है। इनमें कृषि इनपुट्स, जैसे जमीन, पानी, बीज एवं उर्वरकों की उपलब्धता और गुणवत्ता, कृषि ऋण एवं फसल बीमा की सुविधा, कृषि उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्यों का आश्वासन, और स्टोरेज एवं मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि शामिल हैं। यह रिपोर्ट भारत में कृषि की स्थिति का विवरण प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन और पैदावार के बाद की गतिविधियों से संबंधित कारकों पर चर्चा करती है।

2009-10 तक देश की आधी से अधिक श्रमशक्ति (53%), यानी 243 मिलियन लोग कृषि क्षेत्र में कार्यरत थे।¹, इस क्षेत्र से अपनी आजीविका कमाने वाले लोगों में भूस्वामी, काश्तकार, जोकि जमीन के एक टुकड़े में खेती करते हैं, और खेत मजदूर, जो इन खेतों में मजदूरी करते

हैं, शामिल हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान कृषि उत्पादन अस्थिर रहा है, इसकी वार्षिक वृद्धि 2010-11 में 8.6%, 2014-15 में -0.2% और 2015-16 में 0.8% थी। 2, रेखाचित्र 3 में पिछले 10 वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में वृद्धि की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित किया गया है।

कृषि क्षेत्र में देश की लगभग आधी श्रमशक्ति कार्यरत है। हालांकि जीडीपी में इसका योगदान 17.5% है (2015-16 के मौजूदा मूल्यों पर)। पिछले कुछ दशकों के दौरान, अर्थव्यवस्था के विकास में मैन्यूफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों का योगदान तेजी से बढ़ा है, जबकि कृषि क्षेत्र के योगदान में गिरावट हुई है। 1950 के दशक में जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान जहां 50% था, वहीं 2015-16 में यह गिरकर 15.4% रह गया (स्थिर मूल्यों पर)। भारत का खाद्यान्न उत्पादन प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है और देश गेहूं, चावल, दालों, गन्ने और कपास जैसी फसलों के मुख्य उत्पादकों में से एक है। यह दुग्ध उत्पादन में पहले और फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। 2013 में भारत ने दाल उत्पादन में 25% का योगदान दिया जोकि किसी एक देश के लिहाज से सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त चावल उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 22% और गेहूं उत्पादन में 13% थी। पिछले अनेक वर्षों से दूसरे सबसे बड़े कपास निर्यातक होने के साथ-साथ कुल कपास उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 25% है।

हालांकि अनेक फसलों के मामलों में चीन, ब्राजील और अमेरिका जैसे बड़े कृषि उत्पादक देशों की तुलना में भारत की कृषि उपज कम है (यानी प्रति हेक्टेयर जमीन में उत्पादित होने वाली फसल की मात्रा)। ऐसे कई कारण हैं, जोकि कृषि उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, जैसे खेती की जमीन का आकार घट रहा है और किसान अब भी काफी हद तक मानसून पर निर्भर हैं। सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है, साथ ही उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग किया जा रहा है जिससे मिट्टी का उपजाऊपन कम होता है। देश के विभिन्न भागों में सभी को आधुनिक तकनीक उपलब्ध नहीं है, न ही कृषि के लिए औपचारिक स्तर पर ऋण उपलब्ध हो पाता है। सरकारी एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों की पूरी खरीद नहीं की जाती है और किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाते हैं।

उद्योग: समय के साथ औद्योगिक क्षेत्र में भारी सुधार हुए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्योगों का निजीकरण हुआ है जिसके कारण उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में विस्तार हुआ है।

सेवाएं % भारत में सेवा उद्योग 23% कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करता है। यह सकल घरेलू उत्पाद में एक विशाल हिस्सा है। भारत सेवाओं के उत्पादन में 15वां स्थान लेता है। सूचना प्रौद्योगिकी, व्यापार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग आदि वर्ष 2000 में सेवाओं के कुल उत्पादन में एक तिहाई तक की वृद्धि करते हुए तेजी से बढ़ते क्षेत्रों के बीच आते हैं। भारत में सेवा क्षेत्र को बहुत ही अच्छे बुनियादी ढांचे और कम संचार लागत के साथ प्रदान किया जाता है, जो इसे बहुत शक्तिशाली बनाता है।

इस सेक्टर में बैंकिंग और वित्त: भारत में बैंकिंग प्रणाली मोटे तौर पर संगठित और असंगठित है। संगठित क्षेत्र में यह सार्वजनिक, निजी, विदेशी स्वामित्व वाले बैंकों को शामिल करता है, और असंगठित क्षेत्रों में व्यक्तिगत / पारिवारिक स्वामित्व वाले बैंकर या मनी लेंडर्स और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFC) शामिल होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों सहित बैंक शाखाओं की संख्या में वृद्धि हुई है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अल पॉलिसी मामलों के लिए एजेंसी है, और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के मामले में बहुत महत्वपूर्ण है।

उदारीकरण ने बैंकिंग प्रणाली में सुधारों के लिए रास्ता दिया। ये सुधार राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ-साथ बीमा क्षेत्रों, निजी और विदेशी चिंताओं में किए गए थे।

भारत में कृषि: चुनौतियाँ एवं समस्याएँ :-

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की केन्द्रबिन्दु व भारतीय जीवन की धुरी है। आर्थिक जीवन का आधार, रोजगार का प्रमुख स्रोत तथा विदेशी मुद्रा अर्जन का माध्यम होने के कारण कृषि को देश की आधारशिला कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देश की कुल श्रमशक्ति का लगभग 52 प्रतिशत भाग कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित क्षेत्रों से ही अपना जीविकोपार्जन कर रही हैं। अतः यह कहना समीचीन होगा कि कृषि के विकास, समृद्धि व उत्पादकता पर ही देश का विकास व सम्पन्नता निर्भर है।

स्वतन्त्रता के पश्चात कृषि को देश की आत्मा के रूप में स्वीकारते हुए एवं खेती को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए देश के प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट किया था कि 'सब कुछ इन्तजार कर सकता है मगर खेती नहीं।' इसी तथ्य का अनुसरण करते हुए भारत सरकार कृषि क्षेत्र को विकसित करने एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु अनेक कार्यक्रमों, नीतियों व योजनाओं का संचालन कर रही है। सरकार ने वर्ष 1960-61 में भूमि सुधार कार्यक्रम का सूत्रपात किया जिससे किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्राप्त हुआ। इसी प्रकार सरकार ने भू-जोतों की अधिकतम सीमा तथा चकबन्दी जैसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता प्रदान की जिससे कृषक वर्ग लाभान्वित हो सके। कृषि का विकास व सम्पन्नता कृषि उत्पादन वृद्धि के साथ ही उत्पादित उपज के उचित मूल्य प्राप्ति पर भी निर्भर है। गौरतलब है कि देश के अधिकांश छोटे किसान गरीबी के दुष्चक्र में जकड़े हुए हैं। गरीबी तथा ऋणग्रस्तता के कारण किसान अपनी उपज कम कीमतों पर बिचैलियों को बेचने के लिए बाध्य हैं। इन बिचैलियों के जाल से किसानों को मुक्त करवाने तथा विपणन व्यवस्था में सुधार लाने हेतु सरकार ने नियन्त्रित मण्डियों के विस्तार, कृषि उपज के श्रेणीकरण व प्रभावीकरण, माल गोदामों की व्यवस्था, बाजार एवं मूल्य सम्बन्धी सूचनाओं का प्रसारण व सहकारी विपणन व्यवस्था का प्रबन्धन जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की स्थापना भी इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। यह संस्थान कृषि विपणन में विशिष्ट शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान की सेवाएँ प्रदान करते हुए कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

इसके अतिरिक्त कृषि उपज की विपणन व्यवस्था को सरल व सुचारू बनाने हेतु गाँवों को निकटवर्ती शहरों से जोड़ने हेतु 'भारत निर्माण' योजना के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर सर्वाधिक जोर दिया जा रहा है। गौरतलब है कि भारत निर्माण योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के सिंचाई, सड़क, जलापूर्ति, आवास, विद्युतीकरण व दूरसंचार विकास को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है ताकि कृषि के विकास व उत्पादकता हेतु आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किया जा सके। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इन सब सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का प्रावधान भी रखा गया है जो कि वित्त के अभाव के कारण अधर में लटकी हुई है।

भारतीय कृषि जोखिमभरा है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए सरकार कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट के कारण सम्भाव्य हानि से किसानों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रति वर्ष समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है। इसी प्रकार किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने हेतु 'फसल बीमा योजना' प्रारम्भ की गई जिसे बाद में 'व्यापक फसल योजना' तथा वर्तमान में 'राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना' के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। यही नहीं कृषिगत निर्यातों के विकास हेतु कृषि निर्यात क्षेत्रों को भी स्थापित किया गया है। चिन्ता का विषय यह है कि देश में प्रति वर्ष 21 प्रतिशत फसल कीड़े-मकोड़े व बीमारियों के कारण नष्ट

हो जाती है जिसको नियन्त्रित करने हेतु 'पौध संरक्षण कार्यक्रम' का सूत्रपात किया गया तथा कीटाणुनाशक दवाइयों के उपयोग पर बल दिया गया। कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बनने तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु कृषि में 'यन्त्रीकरण' को प्रोत्साहित किया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसानों को कम ब्याज दर पर ट्रैक्टर, पम्पसेट व मशीनरी आदि खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है तथा कृषिगत यन्त्रों की किराया क्रय पद्धति व्यवस्था करने हेतु 'कृषि उद्योग निगम' की स्थापना की गई है।

कृषि अर्थव्यवस्था में रिजर्व बैंक ऑफ़ इण्डिया का सहयोग :-

रिजर्व बैंक का सहयोग केन्द्रीय संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है। जिसका प्रमुख अधिकारी गर्वनर होता है। जो कि रिजर्व बैंक के सभी अधिकारों का प्रयोग करता है। साथ ही अधिकतम चार उपगर्वनर हो सकते हैं। ये सभी बैंक के पूर्णकालीन कर्मचारी होते हैं। तथा अपना सम्पूर्ण समय बैंकिंग क्रियाकलापों में लगाते हैं। इनका कार्यकाल अधिकतम पांच वर्षों तक होता है। इसके अलावा केन्द्रीय संचालक मण्डल में केन्द्र सरकार द्वारा नामांकित संचालक होते हैं। जिसका अधिकतम कार्यकाल 4 वर्ष तक होता है।

रिजर्व बैंक ऑफ़ इण्डिया देश का केन्द्रीय बैंक होने के कारण उन सभी कार्यों का सम्पादन करता है। जो एक केन्द्रीय बैंक द्वारा किये जाते हैं। इसके कार्य निम्नलिखित हैं :-

1. रिजर्व बैंक केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, स्थानीय अधिकारणों, बैंको तथा किन्ही अन्य व्यक्तियों के धन को ऐसी जमा के रूप में स्वीकार करता है। जिस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है।
2. रिजर्व बैंक प्रमुख कार्य के रूप में विनियम दर में स्थिरता बनाने का कार्य करना है तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों की विदेशी विनियम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विदेशी विनियम के क्रय-विक्रय का कार्य करता है।
3. रिजर्व बैंक विभिन्न संस्थाओं जैसे स्थानीय प्राधिकरण, अनुसूचि बैंको, राज्य सहकारी बैंको, राज्य वित्त निगमों, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों आदि को विभिन्न प्रतिभूतियों के आधार पर अलग-अलग अवधि में देय ऋण एवं अग्रिम प्रदान करने का कार्य करता है।
4. रिजर्व बैंक अपने अधिनियम की धारा 20, 21(अ) के अनुसार केन्द्रीय या सरकारों के बैंक के प्रतिनिधि एवं सलाहकार के रूप में कार्य करता है।
5. रिजर्व बैंक, बैंको के बैंक के रूप में कार्य करता है। इस रूप में यह बैंको के निक्षेप स्वीकार करना, उनको ऋण देना, समाषोधन ग्रह तथा अन्तिम ऋणदा आदि के कार्य करता है। देश के अनुसूचित बैंकों को कुल जमा दायित्व का 3 प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ता है।
6. रिजर्व बैंक देश की मुद्रा एवं साख नियन्त्रण के लिये विभिन्न प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष यंत्रों का उपयोग करते हुए साख नियन्त्रण का महत्वपूर्ण कार्य करता है।
7. रिजर्व बैंक बड़े-बड़े शहरों में अपने सदस्य बैंको को समाषोधन ग्रह की सुविधा देता है। तथा बिलों को भुनाने एवं उनकी राशि को स्थानांतरित करने में सहायता देता है।
9. रिजर्व बैंक देश की अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित आर्थिक वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक आंकड़े एकत्रित कर, उन्हें प्रकाशित करने का कार्य करता है।
10. रिजर्व बैंक अपने दावों की पूर्ण या आंशिक पूर्ति में प्राप्त होने वाली चल या अचल सभी सम्पत्तियों के विक्रय तथा वसूली का कार्य करता है।

12. रिजर्व बैंक द्वारा कृषि साख की व्यवस्था के लिये कृषि विभाग की स्थापना की गई जो कि कृषि सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के अध्ययन, आंकड़ों के एकरीकरण तथा सलाह का कार्य करता है।

निष्कर्ष :-

भारतीय कृषि क्षेत्र को मजबूत आधार प्रदान करने के लिए सरकार कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश करने, राज्यों के बजट में कृषि को प्राथमिकता देने हेतु प्रोत्साहित करने, नवीन कृषि तकनीक के उपयोग को प्रेरित करने तथा कृषि उत्पादन में आने वाली समस्याओं का निवारण करने हेतु सतत प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय किसान आयोग (2004-06) ने देश में कृषि की प्रगति सुनिश्चित करने हेतु जलवायु के अनुकूल कृषि आर्थिक तकनीकों के इस्तेमाल तथा हरित क्रान्ति से लाभान्वित प्रदेशों में अनाज संरक्षण की व्यवस्था अपनाने पर जोर दिया है, जिस पर क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है। कृषि को समुन्नत बनाने हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में मृदा - संरक्षण, जल - संरक्षण, जल - स्रोतों के पुनरुद्धार, ऋण व बीमा सुधार, विपणन व्यवस्था एवं प्रौद्योगिकी व आगत आपूर्ति में सुधार पर जोर दिया गया है। फसल की उत्पादकता में मिट्टी की किस्म, पोषक तत्व व जलग्रहण क्षमता के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए गाँवों में सचल मिट्टी परीक्षण इकाइयाँ स्थापित की गईं। इसी प्रकार किसानों को कृषि, पशुपालन, मत्स्य - पालन आदि से सम्बन्धित सूचनाएँ शीघ्र व समय पर उपलब्ध कराने हेतु ग्राम संसाधन केन्द्रों की स्थापना की गई है। कृषि में जोखिम अधिक है अतः इससे किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए फसल बीमा योजना को व्यापक व तार्किक बनाते हुए बीमा प्रीमियम दर कृषकों की आय के अनुपात में रखना न्यायसंगत होगा। इसके साथ विकसित देशों का मुकाबला करने के लिए कृषि को उद्योग का दर्जा देते हुए उसे व्यावहारिक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ग्रामीण अधोसंरचना के विकास को प्राथमिकता देकर ही कृषि को अधिक प्रतियोगी व लाभप्रद बनाना सम्भव है। ग्रामीण विकास के इस महाभियान में पंचायती राज संस्थाओं व ग्राम सभाओं को भी वृहद जिम्मेदारियाँ निभानी होंगी। रिजर्व बैंक का शहरी बैंक विभाग अपने विभिन्न खण्डों के माध्यम से सहकारी बैंकों की गतिविधियों पर ध्यान रखता है तथा जमाकर्ताओं के हित एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए सहकारी बैंकों के नियमन का कार्य करा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आर्थिक, जगत भारत सरकार, नई दिल्ली
2. योजना, योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली
3. इकोनॉमिक्स टाइम्स, नई दिल्ली
4. www.google.com/wikipedia.com
5. www.wikipedia.com